रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L.(N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2010, शनिवार/अग्रहायण 7–अग्रहायण 13, 1932

No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2010, SATURDAY/AGRAHAYANA 7—AGRAHAYANA 13, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 215.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती नियम, 2004 में :—

(i) नियम 2 में :—

(क) पार्श्व शीर्षक में "वेतनमान" शब्दों के पश्चात्, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएं

(ख) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (भाषा)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. के वेतन में ऐसा उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा या ऐसी तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पुनरीक्षित वेतन की संरचना विस्तारित है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी श्रेणी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 14034/55/2009-रा.भा. (प्रशि.)]

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र सा.का.नि. 74 तारीख 1 मार्च, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 144, तारीख 21 मार्च, 2004 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 29th November, 2010

G.S.R. 215.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Joint Director (Language) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Joint Director (Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Joint Director (Language), Recruitment Rules, 2004, —

(i) In rule 2,—

(a) in the marginal heading, for the words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay/Scale of pay" shall be substituted;

(b) for the words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay/Scale of pay" shall be substituted;

(ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Director (Language)	01* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years' regular Service in the Grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or a Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Department of Official Language —Member 3. Joint Secretary, Department of Official Language —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 14034/55/2009-OL(Trg.)]

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

Foot Note : The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. No. 74, dated the 1st March, 2004 and subsequently amended vide G.S.R. No. 144, dated the 21st March, 2004.)